

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 341/2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 20-10-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

अनिल बाल्मीक वि0 प्रेमसिंह बाल्मीक, उम्र 24
वर्ष, निवासी ग्राम लहचूरा पुरा थाना मालनपुर
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।

// दोषमुक्ति आदेश अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.//

// आज दिनांक 19-10-2016 को घोषित किया गया //

01. आरोपी का विचारण धारा 354(क) भा0दं0वि0 म0प्र0 संशोधन अधिनियम के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 16.10.2013 के 11:00 बजे पी.टी.एल फैक्ट्री मालनपुर आवासीय कमरे के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादिया/पीडिता को उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे नग्न किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.10.2013 को फरियादिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की, कि वह घटना दिनांक को अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी तभी सुबह 11 बजे करीब किसी काम के लिए मकान के बाहर निकली तभी आरोपी अनिल बाल्मीक मोटरसाइकिल से आया और उसके सामने मोटरसाइकिल रोककर अश्लील हरकतें करने लगा। उसने कहा कि उसके पति घर पर नहीं है वह यहाँ से चला जाए तभी आरोपी ने उसकी लज्जा भंग करने की नियत से उसकी छाती पर हाथ रख दिया। फरियादिया के द्वारा विरोध करने पर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया जिससे उसके हाथ की चूड़ियाँ टूट गई। वह चिल्लाई तो उसके बच्चे गुलशन और कोमल कमरे से

निकलकर बाहर आ गए तब आरोपी उसे छोड़कर मोटरसाइकिल से भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मालनपुर में अप.क्र. 227/2013 धारा 354 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया तथा घटनास्थल से फरियादिया की टूटी हुई चूड़ियों की जप्ती की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री के धारा 164 भा.दं.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए। मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए कथन में पीडिता के द्वारा उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे जमीन में पटककर उसका पेटीकोट उपर उठा देने की बात बताई है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया जो कि कमिटि उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354(क) भा0दं0वि0 म.प्र.संशोधन अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 16.10.2013 के 11:00 बजे पी.टी.एल फैक्ट्री मालनपुर आवासीय कमरे के सामने सार्वजनिक स्थान पर पीडिता को उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे नग्न किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

06. घटना के संबंध में फरियादिया/पीडिता को अ0सा0 3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। पीडिता के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसका कोई समर्थन नहीं किया गया है। उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण से भिन्न यह बताया जा रहा है कि उसके एवं आरोपी के मध्य सुअर के द्वारा पशुओं के चारा खा जाने की बात को लेकर झगडा हो गया था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। जिसकी रिपोर्ट करने वह थाने गई थी। उसने झगडा के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 3 पर अपना अंगूठा निशान लगाया था। अभियोजन के द्वारा पीडिता को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान पीडिता के साक्ष्य कथन में कहीं भी

अभियोजन प्रकरण जैसा बताया जा रहा है उसका कोई समर्थन नहीं होता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षिया इस बात को स्वीकार की है कि सुअर की बात को लेकर झगडा हो गया था उसकी रिपोर्ट करने के लिए वह थाने गई थी।

07. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामदीन अ0सा0 4 जो कि पीडिता का पति है जिसको पीडिता के द्वारा घटना के पश्चात् घटना के बारे में जानकारी दी जानी बताई गई है। अन्य साक्षीगण कोमल अ0सा0 1 व गुलसन अ0सा0 2 जो कि पीडिता के पुत्र है तथा जो चक्षुदर्शी साक्षी होना बताए गए है। उक्त साक्षीगण के कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई तथ्य नहीं आया है जिस कारण उन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

08. अभियोजन के अन्य साक्षी आशाराम गौड अ0सा0 6 जो कि प्रकरण की विवेचना से संबंधित साक्षी है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 बनाना एवं घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 तैयार करना एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना बताया है। चूड़ियों की जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि घटनास्थली के पास से कोई चूड़ियों जप्त की गई है, जबकि घटना की पीडिता के द्वारा उसके साथ इस प्रकार की कोई घटना होना नहीं बताया गया है। मात्र चूड़ियों की जप्ती के आधार पर अपराध की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई विवेचना के आधार पर भी अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

09. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त किया गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी के नाम का उल्लेख है और उसके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है। पीडिता के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत न्यायालय में हुए कथन में भी आरोपी के घटना में शामिल होने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी पाई जाती है।

10. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख होने का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती। इस बिन्दु पर **जितेन्द्र कुमार वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा (2012)6 एस.सी.सी. 204** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध घटित होने के संबंध में स्वयं में कोई साक्ष्य नहीं होता है। इसका उपयोग

केवल अभियोजन के मामले के लिए सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है, इस संबंध में **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्त्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामदर्ज होने के आधार पर तथा धारा 164 जा.फौ. के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य विद्यमान होनी नहीं पाई जाती है। अतः आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य न होने से उसे धारा 354(क) भा०दं०वि० (म.प्र.संशोधन अधिनियम) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म०प्र०)

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म०प्र०)